

न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 22/2015 (रा.अ.)  
पंजीयन दिनांक 17.06.2015

- 1-मेताबी बाई पत्नि नारायणजी (नारू) नायक निवासी अरनियापंथ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 2-गोवर्धन पिता नारायण (नारू) नायक निवासी अरनियापंथ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-प्रार्थीगण

बनाम

सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार, जरिये परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च राज मार्ग, खण्ड बांसवाडा मुख्यालय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम प्रकरण संख्या 140/2013 दिनांक 15.10.2014 सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

उपस्थिति:- श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 के कि. मी. 183-000 से कि. मी. 197-350 तक चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच खण्ड (मध्य प्रदेश सीमा तक) के निर्माण (चौड़ा करने पेव्ड शोल्डर सहित चारलेन का बनाने) के प्रयोजन से ग्राम अनियापंथ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी नम्बर 1165 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 30 बाई 30 फीट प्रार्थीया की भूमि अवाप्ति में लिये जाने तथा भूमि का 165 रुपये वर्गफीट के हिसाब से मुआवजा निर्धारण किये जाने के पारित अवाई आदेश दिनांक 15.10.2014 के विरुद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता को सूचना-पत्र जारी कर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी की ओर

प्रकरण संख्या 22/2015 (रा.अ.)  
मेताबी बाई पत्नि नारायणजी (नारु) नायक निवासी अरनियापंथ वगैरा बनाम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जरिये परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियंता

से श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता द्वारा अधिकार-पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त हुई। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की आबादी भूमि मय निर्माण के 30 बाई 30 फीट 900 वर्ग फीट भूमि अवाप्त की गई जिसमें बाजार दर 165 रुपये प्रति वर्ग फीट से क्षतिपूर्ति राशि 3,08,418/- रुपये तय की गई जबकि भूमि मुख्य सड़क पर होने से 600 वर्ग फीट तक व्यवसायिक दर 617/- रुपये प्रति वर्ग फीट तथा शेष 300 वर्ग फीट भूमि का आवासीय दर 165/- रुपये के हिसाब से 4,19,700/-रु. तथा इसी प्रकार निर्माण स्थल 514 वर्गफीट में होने से निर्माण की कीमत 700 रुपये प्रति वर्गफीट से 3,59,800 रु., बाउण्ड्रीवॉल की कीमत 40,000/-रु. इस प्रकार कुलिया 8,19,500/- रुपये मय 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की भूमि मुख्य सड़क पर होने से व्यवसायिक दर से मुआवजा राशि तय होनी चाहिए परन्तु सम्पूर्ण अवाप्तशुदा भूमि का 165/- रुपये की दर से मुआवजा राशि तय की गई है। अवाप्त आदेश में प्रार्थीगण को सुनवाई एवं सबूत का कोई अवसर नहीं दिया, निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर 8,19,500/- रुपये एवं उस पर 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडकर संशोधित अवार्ड पारित करा मुआवजा राशि दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

विपक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण की 900 वर्गफीट भूमि ही अवाप्त की गई है जिसका प्रार्थीगण के यहां हुए निर्माण के आधार पर राजस्व रेकार्ड एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का अवलोकन कर मौके की स्थिति की रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों से प्राप्त कर उनका भौतिक सत्यापन/प्रमाणिकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेडा से करवाया, तदुपरान्त दोनों अधिकारियों की सर्वे रिपोर्ट सही एवं तथ्यात्मक होने पर भूमि की किस्म के अनुसार उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ से प्रचलित डी. एल. सी. दर अनुसार गणना कर, 10 प्रतिशत अतिरिक्त सोलेशियम राशि जोडकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया है जो कि विधि सम्मत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ दो स्थानीय समाचार पत्रों कमशः राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 10.09.13 एवं दिनांक 11.09.13 को प्रकाशन कराया है तथा प्रार्थीगण को अवाप्ति में आने वाली भूमि के

टाईटल संबंधी मूल दस्तावेज/पट्टा/विक्रय पत्र तथा अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र भी जारी किये गये हैं तथा प्रार्थीगण ने अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब/क्लेम एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं। अतः प्रार्थीगण का कथन की अधीनस्थ सक्षम अधिकारी ने मुझे सुनवाई एवं सबूत का कोई अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ द्वारा किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आबादी भूमि के विक्रय विलेख पट्टा संख्या 4727 दिनांक 12.12.74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम अरनियापंथ तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रार्थीगण की 30 बाई 45 फीट कुलिया 1350 वर्गफीट भूमि जो कि आबादी में होकर आवासीय भूखण्ड है जिसमें से 30 बाई 30 कुल 900 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है जिसका आवासीय दर (150/- + 10 प्रतिशत अतिरिक्त) 165/- रुपये प्रति वर्गफीट से मुआवजा भुगतान किया गया है जो कि विधि-सम्मत है।

साथ ही प्रार्थीगण ने अधीनस्थ कार्यालय में तथा इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसकी भूमि व्यवसायिक होने के कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अवाई आदेश दिनांक 15.10.2014 विधि-सम्मत होकर पारित अवाई आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(इन्द्रजीत सिंह)